राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नरसी बनाम तुलसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील
	305/2021 / 306/2021	
17/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/12/2025 को पेश हो।	
23/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2018 पारित करते हुए तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल को आराजी खसरा नम्बर 468/2 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम लालसर प.ह. लालसर तहसील किशनग्ध्स रेनवाल जिला जयपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के आधार पर अलहदा-अलहदा किया जाकर नक्शे कुर्रेजात 2 प्रतियों में मंगवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/01/2019 पारित कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध पृथक-पृथक अपीले प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. की दोनों अपीलों पर इकजाई रूप से मौखिक बहस सुनी गयी व अधिवक्ता अपीलार्थी ने दोनों अपीलों में अपील मीमो को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलीयो पर सलग्न की जावे। अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत दोनों अपीलों के माध्यम से मुख्य रूप से उनकी तामील गलत होने के तथ्य अंकित करते हुये तकनीकी बिन्दुओ के सम्बन्ध में आपत्तियां जाहिर की गयी है किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक डिक्री के माध्यम से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने अथवा अन्तिम डिक्री के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विभाजन में उन्हें कमतर भूमि प्राप्त हुई हो के सम्बन्ध में कोई ठोस उज्र प्रकट किये गये है, जबकी मूल वाद विभाजन का है, जिसके माध्यम से सहखातेदारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नरसी बनाम तुलसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बुरी के आधार पर विभाजन करते हुये अलग-अलग खाता लगान कायम किया जाना विधि अनुसार उचित होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीयो में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है | इसके अतिरिक्त मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर सहखातेदार को विभाजन से वंचित रखा जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2018 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/01/2019 विधिसम्मत एवं उचित प्रतीत होने से उनमे कोई हस्तक्षेप नही किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें क्रमश :- 305/2021 व 306/2021 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर